



# KOVID EDUCATIONAL SOCIETY

Reg. Off.H-33-B/A, Tagore Path, Bani Park, Jaipur

Corp. Office: C-35, F-402, Yuvraj Residency, Piyush Path Bapu Nagar, Jaipur - 302015

Ph. No. 0141 - 2708000 • Mob.: 9414031234

Ref.

---

## DECLARATION

THIS IS TO INFORM THAT MODERN LAB IS RUNNING a unit of KOVID EDUCATIONAL SOCIETY.

Registered under Udyam Registration and Rajasthan pollution control Board  
OBJECTIVE EVIDENCE:

1. UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE
2. POLLUTION CERTIFICATE-AUTHORIZATION -BMW

FOR KOVID EDUCATION SOCIETY  
*S. Salwas*  
Director/Authorized Signatory



## UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER

UDYAM-RJ-17-0278852

NAME OF ENTERPRISE

MODERN THE PEOPLE LAB (A UNIT OF KOVID EDUCATIONAL SOCIETY)

TYPE OF ENTERPRISE \*

SNo.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	13/07/2023

MAJOR ACTIVITY

**TRADING**

[For availing benefits of Priority Sector Lending(PSL) ONLY]

SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR

GENERAL

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	MODERN THE PEOPLE LAB

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	Shop No. A-1	Name of Premises/ Building	Shopping Center
Village/Town	Sector-7	Block	Pratap Nagar
Road/Street/Lane	Sanganer	City	Jaipur
State	RAJASTHAN	District	JAIPUR , Pin 302033
Mobile	887555513	Email:	sharmaskumar1984@gmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE

10/02/2023

DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	86 - Human health activities	8620 - Medical and dental practice activities	86201 - Medical practice activities	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION

13/07/2023

\* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from <https://udyamregistration.gov.in> & Date of printing:- 14/07/2023

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: JAIPUR CITY (RAJASTHAN)

2. MSME-DFO: JAIPUR (RAJASTHAN)

Visit : [www.msme.gov.in](http://www.msme.gov.in) ; [www.dcmsme.gov.in](http://www.dcmsme.gov.in) ; [www.champions.g](http://www.champions.g)



Follow us @minmsme & @msmechampion



**BE A  
CHAMPION**  
with the  
Ministry  
**MSME**



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

8/263, Malviya Nagar, Behind Renault Showroom Near Jawahar Circle, J

Phone: 0141-4068311 Fax: 5159699



17-06-2023 20:16:53  
26.8093767  
75.8148013

Registered

F(BMW)/JAIPUR(Sanganer)/6238()/2022-2023/1139-1140

Date: 17/08/2022

Unit Id : 120702


FORM IV

(SEE Rule 10 of BMW Rules, 2016)

(Authorization for operating a facility for Collection, Generation, Reception, Storage of Biomedical Wastes)

- 1 Authorization Letter No. BMW/2022-2023/Jaipur (S)/BMW/107.
- 2 YUDHVEER SINGH BALWADA, Secretary of Modren The peoples lab Jaipur (A Unit of kovid educational society) is hereby granted an authorization under Rule 10 of Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 2016 (BMW Rules,2016) to operate a facility for Collection, Generation, Reception, Storage of biomedical waste on the premisses situated at Shope no A-1 Shopping Center, Sector-7, Pratap Nagar, Jaipur, Tehsil Sanganer, District Jaipur.
- 3 This authorization is valid till it is cancelled /revoked by the Competent Authority.
- 4 This authorization is valid for operation of the Laboratory with 0 (zero) number of beds.
- 5 This authorization is subject to the conditions contained in enclosed annexure and to such other conditions/guidlines as may be specified under BMW Rules, 2016 by Central Pollution Control Board, Delhi or Ministry of Environment & Forests(MoEF), Government of India (GOI) or Department of Environment (DOE), Government of Rajasthan (GOR).
- 6 Segregation, packing, transportation, storage, treatment & disposal of Bio-medical waste shall be in accordance with Rule 7 & 8 of BMW Rules, 2016. The bio medical waste shall be disposed of at Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility (CBMWTF) established for the area viz .
- 7 The mercury bearing waste arising due to breakage of thermometers,pressure gauges and other instruments is not to be treated as bio-medical waste or other solid waste.The mercury bearing waste is to be segregated, collected , stored and disposed in accordance with the provisions of Hazardous Waste and other wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 8 The Annual report in accordance with Rule 13 for the period 1st January to 31st Decemder of previous year shall be submitted On or before 30th June of every year in form - IV as prescribed in the Rules and the annual report shall also be made available on the web-site of the occupier. Further, all the health care facilities shall develop their website within two years from the date of notification of the BMW Rules,2016, in case not already developed.

Digitally signed by Anand Kumar  
Agarwal  
Date: 2022.08.17 15:29:49 IST  
Reason: I am the author  
Location:



17-06-2023 20:20:10

26.809379

75.8148099



Regional Office Jaipur (S)

Rajasthan State Pollution Control Board

8/263, Malviya Nagar, Behind Renault Showroom Near Jawahar (

Phone: 0141-4061111 Fax: 5159699



Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Sanganer)/6811(1)/2022-2023/1135-1136

Order No : 2022-2023/Jaipur (S)/11184

Date: Aug 17 2022 6:28PM

Unit Id : 120702

M/s Modren The peoplex lab Jaipur (A Unit of kovid educational society)

Shope no A-1 Shoping Center, Sector-7, Pratap Nagar , Jaipur

Tehsil:Sanganer

District:JAIPUR

Sub: Consent to Operate under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 04/07/2022 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder is hereby granted for your A Unit of kovid educational society plant situated at Shope no A-1 Shoping Center, Sector-7, Pratap Nagar Jaipur Tehsil:Sanganer District:JAIPUR , Rajasthan, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Operate is valid till it is cancelled /revoked by the Competent Authority.
- 2 That this one time Consent is valid only for with 0 number of beds.
- 3 That this consent to operate is for existing plant, process & capacity and separate consent to establish/operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.
- 4 That the quantity of effluent generation and mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Signature Not Verified

Digitally signed by Anand Kumar  
Reason: Self Attested Location'

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	0.200	NIL	0.200 Septic Tank and Soakpit



राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 146 जयपुर/2008-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
जयपुर जिला जयपुर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 28 माह 05 सन दो हजार 2008  
को जयपुर में किया गया।



(जयदीप कुमार जोशी)  
रजिस्ट्रार संस्थान

मुद्रा - राजस्थान राज्य सहायरी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 ☎ 2374969 2751352  
2751417

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302015

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
जयपुर

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302015

संस्था का/वि/संस्थामें/ 146

जयपुर, दिनांक 28-5-08

संस्था/पत्रिका, कोविद एजुकेशनल सोसायटी / पुणेवीर सिंह

पुणेवीर एजुकेशनल सोसायटी

11-33B/11 2<sup>अ</sup>जीर पथ, अनीपार्क, जयपुर

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 146 / जयपुर 2008-09  
दिनांक 28-5-08 संलग्न है । जिसकी प्रतिलिपि की सूचना विज्ञापन का कट्ट कर रहे हैं ।

यहाँ आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की संभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचानामों  
विज्ञापनों आवश्यक है :-

1. संस्था के मामलों का प्रबंध जिनको तोपा गया है, उक्त परिपक्व समिति या अन्य राायी निकाय के  
गायबों संघालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित ।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उक्त वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए  
समाप्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो ।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तात्पर्य सही प्रतिलिपि जो शायी निकाय के सालकों,  
न्यासियों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो ।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की  
प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15  
दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए ।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनानामों में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना  
अंकित किया जाता प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा ग्राह्य/निरोधन करायें जाने से  
दुष्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा  
पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनामय प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम  
दोष शिष्ट 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने  
के दण्ड की भागीदार होगी ।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 2 (ग) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त  
सूचनाओं का पालन करने में विकल करने वाला अपराध के सिद्ध होने की घना में और ऐसे वर्ष 2008 से दण्डित  
दण्डित प्रत्येक दिन के लिए जिसमें नि. पूरा अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् पुनः जारी रहती है,  
500/- का अतिरिक्त दण्ड होगा । यदि कोई शक्ति प्राप्त के अर्थात् प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन  
संशोधित की गये विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों को या उक्त किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में  
जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लेख करना या करवाता है तो वह सिद्धी पर ऐसे वर्ष 2000 से दण्डनीय  
होगा जो 2000/- हयम तक का हो सकता है तथा मिथ्या प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमों, विनियमों व  
पदांश कारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा ।

इस कार्यालय में अधिकारियों की प्रतिलिपि प्रकाशित रूप में प्रकाशित करने समय संस्था रजिस्ट्रार को सूचना देना  
प्रमाणित आवश्यक है ।

संस्था प्रमाण-पत्र प्रमाणित विधान ॥  
प्रमाणित न नामांकनी ।

रजिस्ट्रार संस्थामें,  
जयपुर ।

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
अनीपार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016

संघ विशान-पत्र

- 1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम कोविद एजुकेशनल सोसायटी संस्थानिका संख्या है 33
- 2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय H-33 B/A टॉगोर एजुकेशनल सोसायटी संस्थानिका संख्या है 33
- 3. संस्था के उद्देश्य:- राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

उच्चतर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं महिला महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।  
 तकनीकी व उच्चतर तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना।  
 स्थापना व संचालन करना।  
 चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक, नर्सिंग का प्रचार प्रसार करना, प्याजनी व संचालन करना।  
 उच्चतम स्तर की व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।  
 उच्चस्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
 बनी पार्क-जयपुर  
 राजस्थान 302018

- 7. गरीब छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा, भोजन आदि उपलब्ध करना।
- 8. उच्चतम स्तर की शिक्षा को प्रचार प्रसार करना।
- 9. छात्र-छात्राओं की रोजगार हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।
- 10. व संचालन करना।
- 11. महिलाओं को उच्च शिक्षा व शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व सावधि (सावधानी हेतु) उपलब्ध करना।



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
 बनी पार्क-जयपुर  
 राजस्थान 302018

नाम व पिता का नाम  
व्यवसाय  
क्र. सं.

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूरा पता	पद
1.	आमिषकशर्मा	चिकित्सक	दायोज जयपुर	अध्यक्ष
2.	शुद्धवीरसिंह	चिकित्सक	पिलानी, सुंसुनूर	मंत्री
3.	रामानन्द	व्यापार	ओदिन, सुंसुनूर	सहायक
4.	शीला देवी		सद. सुंसुनूर	उपसभा
5.	डॉ. नरेन्द्र कुमार	चिकित्सक	सिंघाना सुंसुनूर	उपसभा
6.	पूनम	व्यापार	सूरजगढ़, सुंसुनूर	उपसभा
7.	डा. सी. एल. चोखला	चिकित्सक	मदनसर, सुंसुनूर	सदस्य
8.	सुभाष चन्द्र	चिकित्सक	गोकुलपुरा, सीकर	सदस्य
9.	अमनिल	व्यापार	कैवरनगर, जयपुर	सदस्य

कोविड एजुकेशनल सोसायटी  
वनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूरा पता	पद
10.	विभास शर्मा	इंजीनियर	कल्याणक रोड, जयपुर	
11.	राम प्रसाद शर्मा	आयुर्वेद	जयपुर	
12.	बी. काम	बी. काम	इ. शाहनगर, जयपुर	
13.	जी. लाल	जी. लाल	निडावा, उदर	
14.	इंजीनियर	इंजीनियर	पिलानी, सुंसुनूर	
15.	अश्वीर सिंह	शेवरी	बेशाली नगर, जयपुर	

कोविड एजुकेशनल सोसायटी  
वनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016

कोविड एजुकेशनल सोसायटी  
वनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016



5. कृपया निम्न सूची में से एक नाम चुनिए और उस नाम के लेखक का नाम, पता, जन्म तिथि, शिक्षा, व्यवसाय, पेशा, उद्योग, शैली, आदि का विवरण लिखिए।

क्र. सं.	नाम या पिन का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	लोकेशन
1.	अभिषेक शर्मा	निर्देशक	हाथोज, जयपुर	जयपुर
2.	सुधीर सिंह	निर्देशक	पिलानी, सुंसुब	सुंसुब
3.	सामानन्द	व्यापार	भोपिन, सुंसुब	सुंसुब
4.	शीला देवी		सदर, सुंसुब	शीला
5.	डॉ. नरेन्द्र कुमार	निर्देशक	सिंघाणा, सुंसुब	सुंसुब
6.	प्रनम	व्यापार	सूरजगढ़, सुंसुब	सुंसुब
7.	डा. सीकलचोदर चौधरी	निर्देशक	महनसर, सुंसुब	सुंसुब
8.	सुभाष चन्द्र	निर्देशक	गोकुलपुरा, सीकर	सीकर
9.	अनिता	व्यापार	कनरनगर, जयपुर	अनिता शर्मा

9

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302009


10.	पि. व. शर्मा	इंजीनियर	नादरगा, राज. जयपुर	जयपुर
11.	राजप्रसाद शर्मा	आयुर्वेद	जयपुर	जयपुर
12.	आकिति देव	नी. काम	श्यामनगर, जयपुर	जयपुर
13.	सुशीला	लोकपाल	चिड़ावा, सुंसुब	सुशीला
14.	सुशीला	इंजीनियर	पिलानी, सुंसुब	सुंसुब
15.	सुशीला	इंजीनियर	नैराजी नगर, जयपुर	जयपुर
16.	सुशीला	आयुर्वेद	सीकर	सीकर
17.	गोतम शर्मा	इंजीनियर	बनीपार्क, जयपुर	जयपुर
18.	आलोकेश चिच	सीकर	मौरा मार्ग, जयपुर	जयपुर

8

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302009

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302009

क्र. सं.	नाम	पता	सं. सं.	सं. सं.
19	कुवेन्द्र भारद्वाज	शिव गंग, सुसुन	29	11
20	दास सीराम	पिता, जयपुर	30	
21			31	
22			34	
23			35	
24			36	
25				10
26				
27				



जायपुर

जायपुर

जायपुर

कोविड एजुकेशनल सोसायटी  
वनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302010

कोविड एजुकेशनल सोसायटी  
वनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302010

क्र. सं.	पति व पिता का नाम	संख्या	पूरा पता	हस्ताक्षर
37.	श्री. संस्था का प्रमुख का पति	14	श्री. संस्था का पता	
38.				
39.				
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्तों को हम जानते हैं व उन्को पते पर सन्देश अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। यह भी घोषित करते हैं कि इन संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)  
 1. हस्ताक्षर  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
 Mr. Narayan 1018  
 Nagar  
 (साक्षी)  
 SHARADACHANDRA  
 (हस्ताक्षर संख्या)  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
 Laxya Ka Bdg,  
 Post. Mahapur,  
 204 Jaipur.

नोट : शपथ पत्र नोटरी पदविक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना होगा।

समिति कोमाहटी/संख्या/संख्या

**विधान (नियमावली)**

- संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सीसायरी सोनिंग एजुकेशनल समिति कोमाहटी/संख्या/संख्या है व रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राजस्थान क्षेत्र तक स्थित होगा।
- संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-  
 1. उच्चतर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना एवं महिला महा-विद्यालय की स्थापना करना। व विद्यालय करना।  
 2. तकनीकी व उच्च तकनीकी शिक्षा की प्रचार-प्रसार, शिक्षण व संचालन करना।  
 3. व्याक्तिगत शिक्षा, आयुर्वेद, नर्सिंग का प्रचार-प्रसार, स्थापना व संचालन करना।  
 4. उच्चतम स्तर की व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण - संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।  
 5. उच्च स्तराध्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।



उपरोक्त उद्देश्यों का पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
 बनी पार्क-जयपुर  
 राजस्थान 302015

कोमाहटी

कोमाहटी

कोमाहटी

कोमाहटी

कोमाहटी

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
 बनी पार्क-जयपुर  
 राजस्थान 302015

7. ग्रामीण जीवन की निरन्तर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे -

8. इच्छुक कम्प्यूटर शिक्षा - स्टाफ को प्रशिक्षण व

9. संचालन करने को शौकार देल प्रशिक्षण की विकास

10. छात्रा - छात्राओं को शिक्षा व इच्छा शिक्षा, लक्ष्मी शिखा व

11. मन्दिनाओं को शिक्षा व इच्छा शिक्षा, लक्ष्मी शिखा व

12. अभावस ( छात्रावास देल ) उपलब्ध बनाएँ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Dr. Khoury

Dr. Khoury

Dr. Khoury

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302010

4. सदस्यता :-

निम्न योजनाएँ रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

- 1- संस्थ के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बाल्य ही,
- 3- पणन, दीर्घकालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में संन व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

- 1-संरक्षक
  - 2-विरिष्ठ
  - 3-सम्मानार्थ
  - 4-साधारण
- (जो लागू न हों, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदान शुक्य व चन्दा :-

- उपरोक्त संरक्षण 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुक्य व चन्दा देय होगा :-
- 1-संरक्षक प्रति 5,000/- वार्षिक/आजन्म
  - 2-विरिष्ठ प्रति 3,000/- वार्षिक/आजन्म
  - 3-सम्मानार्थ प्रति 1,000/- वार्षिक
  - 4-साधारण प्रति 5,000/- वार्षिक

उक्त प्रति एक नुत शपथ रु. को मासिक की रा से जमा कर्य जा सकेंगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेंगा :-
- 1-मृत्यु होने पर
  - 2-त्याग-पत्र देने पर
  - 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते पर
  - 4-प्रत्यक्षकारिणो द्वारा देखी पाये जाने पर।

Dr. Khoury

Dr. Khoury

Dr. Khoury

Dr. Khoury

Dr. Khoury

Dr. Khoury

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302010

उक्त प्रकार के निर्धारण को अक्टूबर 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय आवश्यक होगा।

8. साधारण सभा :- संस्था के उपनिष्पन्न संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मितकर साधारण सभा का निर्माण करेगी।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-  
1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की तमीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से दिवधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन देना।  
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रस्तुत होगा।)

10. साधारण सभा की बैठक :-

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कार्य भी मुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का वार्षिक कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अल्पवयस्क बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरस के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन परचात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति बैठक में कोरस की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विवाणोय विषय वही होगा जो पूर्व एजेन्ड में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करा अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाई जाये पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटित जाते कार सकेगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वगुन्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-साठ

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पर या एटानम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रखें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 6 सदस्य कुल 14 सदस्य कुल 20 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्माण :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी को नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

संस्था की कार्यकारिणी के नियमित बैठक अधिवार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाता/निकारित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति को सुरक्षा करना।
- 4- वैधानिक कर्तव्यों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भातों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियन्तित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियों बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।



#### 14. कार्यकारिणी की बैठक :-

- 1- कार्यकारिणी की बैठक में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अग्रिम/मंत्री द्वारा कटौती भी नुत्ताई जा सकती।
- 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थिति बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एदेण्डा में थे। ऐसी स्थिति बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

#### 15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

- 1- अध्यक्ष :
  - 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
  - 2- मत बटवर आने पर निर्णायक मत देना।
  - 3- बैठकें आहूत करना।
  - 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
  - 5- सविद्य तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 2- उपाध्यक्ष :
  - 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
  - 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
- 3- मंत्री :
  - 1- बैठकें आहूत करना।
  - 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

#### 3- आप-नाम पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा वेतन, रोहतन व गजबतित आदि पराम करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कमूनिं दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

#### 4-उपमंत्री :

- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समान कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

#### 5-कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्द्र/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रजिस्टर देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्द्र
- 2- गल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित यदि कितने शरीररुक्त बैंक में सुरक्षित रखी जायेंगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19.



कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302010

17. कोष सभ्यता

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी

संस्था का पति: 15-1-1958  
संस्था का अध्यक्ष: 16-3-1958  
संस्था का सचिव: 16-3-1958

25-5-58

18. संस्था का संकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोड़ों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। अंकेक्षण संस्थाओं को प्रस्तुत करते होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के बहुमत से परिवर्तन, परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था को समस्त चल व अचल सम्पत्ति राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत करती जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेख जोड़े का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाओं की धारा 16 के अंतर्गत निरीक्षण/जांच करते वा पूर्ण निरीक्षण/जांच करने के लिए संस्थाओं को सूचना के माध्यम से सूचनाओं की पूर्ति की जावेगी।

प्रश्नोत्तर लिख जावा कि उक्त विधान रजिस्ट्रार (नवी) तालिका संख्या 16 के अंतर्गत संस्थाओं के लेखों व सचिवों की सूची है।

1. संस्था के लेखों व सचिवों की सूची
2. संस्था के लेखों व सचिवों की सूची

अध्यक्ष

मन्त्री

20

शपथ-पत्र का उपपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था

के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-  
हमारी प्रस्तावित संस्था ..... के पंजीयन हेतु कुल ..... आवेदक सदस्य हैं।

हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।

प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की विन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।

धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों को पूर्ति में किलों प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा। प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई वावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।

प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में बन्वसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही अपने सदस्यों को प्रस्तावक सदस्य या निजो व्यक्तियों को प्रस्तावित होगा।

यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य को अवगत होना न हो जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाओं को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

भविष्य में उक्त विन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाओं को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहणा सत्यापित करते हैं कि विन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाओं को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ ग्रहण निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नेटोरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जायें।

21

अध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016

कोविद एजुकेशनल सोसायटी  
बनी पार्क-जयपुर  
राजस्थान 302016

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

KOVID EDUCATIONAL SOCIETY

28/05/2008

Permanent Account Number

AAAAAK9853C

09022010

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner